

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 23/393-2003 S-I (2) दिनांक, चण्डीगढ़ 28.6.2003

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **The Gurukul Sector 20 Panchkula** को कक्षा I से 10वीं तक की सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/393-2003 S-I (2) दिनांक, 28.6.2004 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० **I/PANCHKULA/C.B.S.E./2004** है। ✓

आर० बी० लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

- 1- प्रबन्ध समिति, **Darbari Lal Foundation, Panchkula.**
- 2- सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, **Panchkula**
- 4- मास्टर फाईल।

ओफीसर इन्चार्ज विद्यालय

कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

D:\AOS1\moinforing cell\issued noc\the gurukul sector20.dot



Principal
THE GURUKUL
Panchkula